13.01.17

वादीगण को पुकार लगाये जाने पर सांय 05:00 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी कमांक 1 एकपृक्षीय। प्रतिवादी क्रमांक २ व ३ द्वारा अधिवक्ता श्री दीवानसिंह गुर्जर।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित है। वादी को साक्ष्य हेतु 6 स्थान प्रदान किये जा चुके हैं परन्तु वादी साक्ष्य अनुपस्थित है। अतः वादी की अनुपस्थिति में वादी साक्ष्य के अभाव में आर्देश 17 नियम ३,2 सी.पी.सी. के अधीन अग्रेषित होते हुए आर्देश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन वाद वादीगण की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। 🥂

व्यय तालिका बनायी जावे। उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगें। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार में भेजा

हो / प्रेश गर्ग
ति. जे. - 2. गोहद